

between the registration and parcel clerks.

(ii) It has also been enjoined that in smaller post offices the registration and parcel clerks should themselves keep a stock of stamps and sell them to the customers.

(iii) Franking machines have been installed in selected post offices, where a large number of registered articles is booked, so that the need to purchase postage stamps is dispensed with.

पुरानी मूर्तियों की चोरी

1784. श्री: नाथूराम अहिरशर : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुराने मन्दिरों से मूर्तियों की चोरी के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों के बारे में कोई जांच की है;

(ग) क्या यह सच है कि चोरी की गई ये मूर्तियां जनपथ, नई दिल्ली की दुकानों में खुले आम बिक रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से हुई चोरियों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच की गई थी अथवा की जा रही है।

(ग) ऐसी कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निःशुल्क उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

1785. श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री यशवन्त सिंह कुशावाह :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक अथवा मैट्रिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने के गत वर्ष के सरकार के निर्णय को इस बीच क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में उन स्कूलों तथा कालेजों की संख्या कितनी है; जिन में उच्चतर माध्यमिक अथवा मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था। किन्तु मन्त्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, हाई स्कूल अथवा हायर सेकेण्डरी स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की स्थिति इस प्रकार है:—

आन्ध्र प्रदेश (केवल लड़कियों के लिए)

जम्मू तथा काश्मीर

मध्य प्रदेश (केवल लड़कियों के लिए)

मद्रास

मैसूर (दसवीं कक्षा तक)

उड़ीसा (लड़कियों, प्राथमिक स्कूल अध्यापकों तथा राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चों और अनसूचित जातियों/अनसूचित कबीलों के लिए)

पंजाब (कुछ वर्गों के लिए अर्थात् लड़कियों के लिए और पिछड़े तथा हरिजनों के